

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 561/2023

मोहन चंद्र तिवारी

..... आवेदक

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य

.....प्रत्यर्थी

उपस्थित:

श्री आदित्य प्रताप सिंह, आवेदक के अधिवक्ता।

श्री अमित भट्ट, राज्य के डी. ए. जी.।

माननीय रविन्द्र मैठाणी , न्यायाधीश (मौखिक)

जवाबी हलफनामे को रिकार्ड में लिया गया है। विलंब माफी आवेदन, आईए संख्या 1 सन 2023, तदनुसार निपटाया जाता है।

2. आवेदक मोहन चंद्र तिवारी ने विविध आपराधिक मामला संख्या 261/2023, रीना देवी बनाम में पारित आदेश के अनुसार अग्रिम जमानत की मांग की। दिनांक 28.06.2023 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा मोहन चन्द्र तिवारी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

4. प्रारंभिक तौर पर यह मुखबिर का मामला रहा है कि मुखबिर ने बताया कि वर्ष 2008 में आवेदक ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है और उसके बाद लगातार ब्लैकमेल किया गया और उसे धमकी दी।

5. इससे पहले, जब मामला 17.07.2023 पर उठाया गया था, तो न्यायालय ने आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी।

6. आवेदक के विद्वान वकील का कहना था कि जांच के बाद, पुलिस ने आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।

7. विद्वान राज्य वकील इसे स्वीकार करते हैं।

8. विचार करने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। तत्काल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए 20,000/- की राशि का निजी बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत मिल जाएगी। इसके अलावा, आवेदक निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करेगा:

(i) आवेदक किसी भी तरह से किसी भी गवाह/पीडित से संपर्क नहीं करेगा।

(ii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

(iii) आवेदक अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा करेगा। यदि आवेदक के पास पासपोर्ट नहीं है, तो वह आई. ओ. को इस संबंध में एक वचन पत्र देगा।

(iv) आवेदक उपरोक्त (i), (ii) और (iii) पर एक वचन पत्र भी देगा।

(रवींद्र मैठाणी, जे.)

06.11.2023

रवि बिष्ट